न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,जालोर

पीठासीन अधिकारी — श्री नरेश बुनकर, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी सं. — 16/2014

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
गोपालसिंह पुत्र पदमसिंहजी, जाति राजपुरोहित, निवासी सांकरणा, तहसील आहोर, जिला जालोर		1.उदयसिंह पुत्र लालसिंहजी, जाति राजपुरोहित, निवासी सांकरणा(फौत) एबेट 2.बदामीदेवी पत्नि तारसिंह,जाति राजपुरोहित,निवासी सांकरणा, तहसील आहोर, जिला जालोर 3.ग्राम पंचायत सांकरणा जरिये सरपंच एवं पदेन सचिव, पंचायत समिति जालोर, जिला जालोर

अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994
विरूद्ध आदेश सरपंच,ग्राम पंचायत सांकरणा,दिनांक 3.6.2014(अनापति प्रमाणपत्र)

उपस्थिति :–
1.श्री तेजसिंह बालावत्,अभिभाषक,प्रार्थी की ओर से।
2.श्री सरदारखां खोखर,अभिभाषक,अप्रार्थी सं.2 की ओर से।
3.अप्रार्थी सं.3 अनुपस्थित।

निर्णय — दिनांक 29.5.2018

1. प्रार्थी के अनुसार निगरानी प्रार्थनापत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम सांकरणा की आबादी भूमि में सोसायटी वाली गली,बडावास, वार्ड सं. 3 में कुल क्षैत्रफल 2513वर्गफीट का प्लॉट आया हुआ है जिसके पूर्व में –गोपालसिंह जबरसिंह का प्लॉट भुजा 90 फीट,पश्चिम में–राणसिंह पुत्र नवजी व धुकजी/केसराजी का प्लॉट भुजा 90फीट,उत्तर में–रास्ता भुजा 90फीट, दक्षिण में–मसराजी पुत्र रावताजी का प्लॉट भुजा 32 फीट हैं,यह प्लॉट प्रार्थी व अप्रार्थी सं.1 तथा प्रार्थी के भाई अरविन्द व जबरसिंह का कब्जासुदा पुश्तैनी प्लॉट है, उक्त प्लॉट पुश्तैनी होने से एक पक्ष को इसका बैचान करने का कोई अधिकार नही हैं ग्राम पंचायत सांकरणा ने प्रार्थी

के पुश्तैनी प्लॉट में अप्रार्थी सं.1 से मिलावट कर अप्रार्थी सं.1 के नाम से अनापति प्रमाणपत्र जारी कर दिया। प्रार्थी ने पूर्व में ग्राम पंचायत में लिखित में सूचित किया था कि उक्त प्लॉट पुश्तैनी है , किसी एक पक्षकार के नाम से ग्राम पंचायत अनापति प्रमाण पत्र जारी नही करे। प्रार्थी द्वारा सूचना दिये जाने के बावजूद भी ग्राम पंचायत ने अनापति प्रमाणपत्र जारी किया तथा उस अनापति प्रमाणपत्र के आधार पर अप्रार्थी सं.1—उदयसिंह व अप्रार्थी सं. 2—बदामीदेवी को पुश्तैनी प्लॉट का बैचान कर दिया। बैचान को रूकवाने बाबत् भी प्रार्थी ने एक प्रार्थनापत्र पेश किया लेकिन नोट लगाकर बैचान पंजीयन कर दिया जिससे प्रार्थी द्वारा यह निगरानी पेश की है। अनापति प्रमाणपत्र ,पट्टा निर्माण स्वीकृति व अन्य किसी भी प्रकार की कार्यवाही जो आबादी भूमि से सबंधित है,किसी प्रकार के मामलें में ग्राम पंचायत नियमानुसार बैठक बुलाकर सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित होने के बाद में ऐसा प्रमाणपत्र जारी कर सकती है, इस महत्वपूर्ण प्रावधान का उल्लंघन करते हुए सरपंच ने अपने स्तर पर अनापति प्रमाणपत्र जारी कर दिया। उक्त पुश्तैनी प्लॉट के दस्तावेजो को बिना जांच किये, आस पास के पडौसियों के बिना बयान लिये ग्राम पंचायत सांकरणा ने उक्त बैचान बाबत् अनापति प्रमाणपत्र जारी कर दिया । उक्त पुश्तैनी भूमि में प्रार्थी गोपालसिंह व प्रार्थी के. भाई अरविन्दसिंह व जबरसिंह के हिस्से की भूमि का भी अनापति प्रमाणपत्र ग्राम पंचायत सांकरणा द्वारा उदयसिंह के नाम जारी किया जिसके आधार पर अप्रार्थी सं.1 द्वारा अप्रार्थी सं.2—बदामी देवी को बैचान किया गया। उक्त बैचान दस्तावेज प्रार्थी की भूमि तक नल एण्ड वॉइड है। जिस प्लॉट बैचान बाबत् अनापति प्रमाण पत्र जारी किया गया है,उसमें बैचान वगैराह का विवरण नही लिखा गया है तथा उपरोक्त भूमि के स्वामित्व बाबत् किसी प्रकार की कोई जांच नही की गई। अप्रार्थी सं.1 के स्वामित्व बाबत् ऐसा कोे दस्तावेज ग्राम पंचायत में पेश नही किया गया है,इसके बावजूद भी ग्राम पंचायत ने अनापति प्रमाणपत्र जारी कर दिया।प्रार्थी ने ग्राम पंचायत में अप्रार्थी सं.1 के पक्ष में जारी अनापति प्रमाणपत्र की नकल मांगी जो दिनांक 5.6.2014 को प्राप्त की ,नकल प्राप्ति की तारीख से निगरानी अन्दर मयाद है। अतः प्रार्थी की निगरानी स्वीकार कर ग्राम पंचायत सांकरणा द्वारा दिनांक 3.6.2014 को उदयसिंह पुत्र लालसिंहजी, जाति राजपुरोहित, निवासी सांकरणा के नाम से जारी अनापति प्रमाणपत्र को निरस्त करवाया जावे तथा अनापति प्रमाणपत्र के आधार पर की गई तमाम कार्यवाही को निरस्त करावे। प्रार्थी ने निगरानी प्रार्थनापत्र के साथ शपथपत्र व फहरिस्त के साथ अनापति प्रमाणपत्र की प्रमाणित प्रति पेश की, इस पर निगरानी दर्ज कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किया व रैकार्ड तलब किया गया।

2. प्रार्थी वकील द्वारा दिनांक 14.5.15 को अप्रार्थी सं.1—उदयसिंह के फौतगी की सूचना पेश की व दिनांक 22.9.15 को प्रार्थी वकील ने अप्रार्थी सं.1—उदयसिंह पुत्र लालसिंह जी के कायम मुकाम अमरसिंह को रिकार्ड पर लेने हेतु प्रार्थनापत्र पेश किया। जिस पर बाद सुनवाई के यह निगरानी अप्रार्थी सं.1 के स्तर तक एबेट की गई।

3. अप्रार्थी सं.2 की ओर से उनके वकील ने दिनांक 5.6.2015 को प्रार्थी की निगरानी का जवाब पेश किया कि अप्रार्थी सं.2 बदामी देवी ने उदयसिंह से प्लॉट जरिये रजिस्टर्ड बैचाननामें से खरीद किया है जिससे इस न्यायालय को सुनने का अधिकार नही है, केवल सिविल न्यायालय को अधिकार है। पंचायत ने नियमानुसार अनापति प्रमाणपत्र जारी किया है,प्रार्थी द्वारा निगरानी में पडौस भी गलत दर्शाये गये है जबकि प्रार्थी द्वारा ग्राम पंचायत में प्रस्तुत पट्टा पत्रावली में शपथपत्र में पडौस पूर्व में—आमरास्ता,पश्चिम में—उदयसिंह पुत्र लालसिंह का मकान,उत्तर में—आम रास्ता व दक्षिण में—मिश्रीमल रावताजी का मकान,नक्शा परिशिष्ठ—अ में उक्त पडौस दर्शाये है तथा मौका निरीक्षण रिपोर्ट जो ग्राम पंचायत सांकरणा द्वारा दिनांक 10.7.2009 को बनाई है उसमें भी उक्त पडौस यही दर्शाये है। नाप में भी प्रार्थी द्वारा बताये गये 45x75 से कई ज्यादा 90 + 87/2x 5+ 48/2 मौके पर होने भी ग्राम पंचायत से मिलावट कर स्वयं के आवेदन से ज्यादा का पट्टा सं. 3756 दिनांक 28.5.2009 को प्राप्त किया है उसमें भी पश्चिम में अप्रार्थी सं.1—उदयसिंह का मकान दर्शाया है जिससे साफ जाहिर हैं कि उदयसिंह का मकान प्रार्थी के पश्चिम दिशा में स्थित है जो उदयसिंह के स्वयं का है न कि पुश्तैनी। केवल मात्र उदयसिंह ने अपना प्लॉट गोपालसिंह को बैचान नही करने के कारण नाराज होकर यह निगरानी पेश की है। उदयसिंह के कब्जासुदा प्लॉट मय मकान जो सांकरणा के बडा वास में आया हुआ है जिसमें उसका रहवास था तथा उसमें बिजली का कनेक्शन भी स्वयं के नाम से करीब 20 वर्ष पुराना लिया हुआ है,इसमें अन्य किसी का कोई हक, दखल व अधिकार नही है और न था। स्वयं का कब्जासुदा मकान बैचान करने का कानूनी अधिकार होने से उदयसिंह ने अप्रार्थी सं. 2—बदामीदेवी को जरिये रजिस्टर्ड बेचान दस्तावेज सं. 2014001230 दिनांक 3.6.2014 को किया है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी मय खर्चा खारिज करावे।

4. उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। प्रार्थी वकील ने निगरानी प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों को बहस में दोहराया व बताया कि ग्राम सांकरणा की आबादी भूमि में बडावास में कुल क्षैत्रफल 2513 वर्गफीट का

पुश्तैनी प्लॉट आया हुआ है, उक्त प्लॉट का ग्राम पंचायत सांकरणा ने अनापति प्रमाणपत्र अप्रार्थी सं.1—उदयसिंह पुत्र लालसिंह के नाम जारी कर दिया जिसके आधार पर अप्रार्थी सं.1 ने अप्रार्थी सं.2—बदामी देवी को उक्त पुश्तैनी प्लॉट का बैचान कर दिया ,अतःउक्त अनापति प्रमाणपत्र दिनांक 3.6. 2014को निरस्त कर अनापति प्रमाणपत्र के आधार पर की गई तमाम कार्यवाही को निरस्त करावे। इसके विपरीत अप्रार्थी सं.2 के वकील ने जवाब प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों को बहस में दोहराया व बताया कि अप्रार्थी सं.2 बदामी देवी ने उदयसिंह से जरिये रजिस्टर्ड बैचाननामें से उक्त प्लॉट खरीद किया है जिससे इस न्यायालय को निगरानी सुनने का अधिकार नही है ,केवल सिविल न्यायालय को अधिकार है। अतः प्रार्थी का निगरानी प्रार्थनापत्र खारिज करावे।

5. उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया व रैकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी ने राज.पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 61 के अनुसार पंचायत समिति की स्थाई समिति में अपील पेश नही कर धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत् इस न्यायालय में निगरानी पेश की है। ग्राम पंचायत की मिसल का अवलोकन किया गया। मिसल में प्रार्थी उदयसिंह द्वारा प्रार्थनापत्र दिनांक 2.4.14 व 15.5.14 बाबत् अनापति प्रमाणपत्र जारी करवाने हेतु प्रार्थनापत्र शामिल है,उक्त प्रार्थनापत्र उदयसिंह द्वारा सरपंच,ग्राम पंचायत सांकरणा को कब पेश किया गया, पेश करने का मार्क व तारीख अंकित नही है। उदयसिंह के दिनांक 2.4.14/ 15.5.14 के प्रार्थनापत्र को बैठक कार्यवाही रजिस्टर 20.5.2014 में लिया गया है जिसमें लिखा गया हैं कि प्रार्थी श्री उदयसिंह द्वारा 15.5.14 को पुश्तैनी मकान/प्लॉट को बैचान हेतु आवेदन दिया जिसका पंचायत बैठक में सर्वसम्मति से अनुमोदन कर एन.ओ.सी.जारी करने का प्रस्ताव पारित किया गया लेकिन उससे पूर्व ग्राम पंचायत को बैठक में एन.ओ.सी. से सबंधित विवादित भूमि मौका निरीक्षण करने हेतु 3 वार्ड पंचो के दल का गठन करना चाहिये था जो नही किया गया है। वार्ड पंच की मौका रिपोर्ट दिनांक 3.6.14 उसी दिन की गई है जिस दिन अनापति प्रमाणपत्र जारी किया गया है। मौका रिपोर्ट में वार्ड पंच व सरपंच द्वारा मौके का मुआयना किया जाना बताया है लेकिन मौका रिपोर्ट में सरपंच के हस्ताक्षर अंकित नही है। मौका रिपोर्ट हेतु किन वार्ड पंचो की नियुक्त किया, क्या वे ही वार्ड पंच मौका रिपोर्ट में है अथवा दूसरे ? उसका उल्लेख बैठक कार्यवाही में नही है, केवल कम सं.1 पर अंकित अर्जुनसिंह के हस्ताक्षर के आगे

वार्ड सं.3 का वार्ड पंच होना अंकित है लेकिन कम सं.2 से 4 तक में अंकित हस्ताक्षर के नीचे वार्ड पंच होना अंकित नही है। बैठक कार्यवाही रजिस्टर में बैठक दिनांक 20.5.2014 बिन्दु सं. 11 पर उदयसिंह के प्रार्थनापत्र दिनांक 15.5.14 का बैठक में सर्वसम्मति से अनुमोदन कर अनापति प्रमाणपत्र जारी करने का प्रस्ताव पारित किया है। अनापति प्रमाण पत्र जारी किया गया है उसको आउटवर्ड नही किया गया है, केवल दिनांक ही अंकित की है। मिसल में प्रार्थी द्वारा प्रार्थनापत्र के साथ ग्राम पंचायत सांकरणा को ऐसे कोई दस्तावेज एवं विश्वसनीय सबूत पेश नही किये गये है जो इस तथ्य की पुष्टि करते हो कि प्रार्थी की पट्टा सुद भूमि का ही अनापति प्रमाणपत्र जारी किया गया है।

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर सरपंच, ग्राम पंचायत सांकरणा द्वारा उदयसिंह के पक्ष में जारी अनापति प्रमाणपत्र दिनांक 3.6.2014 निरस्त किया जाता है। पत्रावली फैसल सुदा मानी जाकर,नम्बर से कम होकर,बाद तकमील तरतीब के बाजाब्ता दफ्तर दाखिल हो।

S.d.
(नरेश बुनकर)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
जालोर

निर्णय,आज दिनांक 29.5.2018 को खुले न्यायालय में पढ़कर सुनाया गया।

Sd.
(नरेश बुनकर)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
जालोर